(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 24 / 2019

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1– श्री हेमन्त मंगल पुत्र श्री कृष्ण सुदामा मंगल उम्र 30 वर्ष जाति महाजन निवासी वार्ड नम्बर 1, 41 डलिया रोड मंडी रोड कवाई जिला बारॉ (**विक्रेता व मालिक**) मैसर्स कृष्ण सुदामा किराना स्टोर खानपुर रोड कवाई तहसील अटरू जिला बारॉ

2– श्री चन्द्र प्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री गोपाल दास अग्रवाल निवासी म.क्र. 59, बालाजी टाउन द्वितीय बालिता रोड कुन्हाडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा (प्रोपराईटर) मैसर्स शगून ऐजेन्सीज, 59, बालाजी टाउन द्वितीय कुन्हाडी कोटा।

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री महेश प्रकाश गौत्तम अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 16.12.2019

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.3.2019 को मैसर्स कृष्ण सुदामा किराना स्टोर खानपुर रोड कवाई तहसील अटरू जिला बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री हेमन्त मंगल पुत्र श्री कृष्ण सुदामा मंगल **(विक्रेता व मालिक)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 12.3.2019 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक / एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र में आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया गया। खाद्य पदार्थ Blended Edible Vegetable Oil (Honest Lite) **1 लीटर गत्ता पैक** में विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विकेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ Blended Edible Vegetable Oil (Honest Lite) **1 लीटर गत्ता पैक** में मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विकेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:28:56 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ Blended Edible Vegetable Oil (Honest Lite) **1 लीटर गत्ता पैक** के 4 पैकेट को वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत श्री हेमन्त मंगल पुत्र श्री कृष्ण सुदामा मंगल (विक्रेता व मालिक) को 600/– रूपये (अक्षरे छः सौ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ Blended Edible Vegetable Oil (Honest Lite) **1 लीटर गत्ता पैक** के 4 पैकिट को 4 नमूना भागो मे अलग–अलग कर, मूल पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–915 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में पोलिपैक पाउच के साथ लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–915 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से उपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री हेमन्त मंगल पुत्र श्री कृष्ण सुदामा मंगल ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्या एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2019/146 दिनांक 23.4.2019 से ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 200/FSSA /Kota/ Act/2019 /193 दिनांक 11.4.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य पदार्थ Blended Edible Vegetable Oil (Honest Lite) **1 लीटर गत्ता पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a)(c)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:28:56 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स कृष्णा [illegible] किराना स्टोर खानपुर रोड कवाई तहसील अटरू जिला बारॉ से पत्रांक 151 दिनांक 24.4.2019 से [illegible] चाही गई। जिसके प्रतिउत्तर में खाद्य अनुज्ञापत्र व आधार कार्ड एवं क्रय बिल की छायाप्रति कार्यालय में पेश की गई।

इस पर प्रकरण दिनांक 23.09.2019 को द[illegible] रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा मय अभिभाषक के उपस्थित होकर प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत कर, प्रकरण मे अन्तिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर, प्रकरण मे उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ Blended Edible Vegetable Oil (Honest Lite) **1 लीटर गत्ता पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a)(c)(i) के तहत के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत जवाब के कथनो को दौहराते हुये कहा गया कि दिनांक 12.3.2019 को लिया गया नमूना मिथ्याछाप वाला होना, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2011 की धारा 26 (2)(11) का उल्लंघन होना अस्वीकार है। माननीय न्यायालय मे उक्त प्रकरण मे फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार मिस ब्राण्ड मानते हुए प्रस्तुत किया है। जबकि धारा 32 एफ.एस.एस. एक्ट 2006 के तहत मिस ब्राण्ड के प्रकरणो मे नोटिस प्रेषित कर अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानो की अनुपालना की जानी चाहिए थी, जो नही की गई है। नमूने की जांच मे किसी कृत्रिम सरूचिकारक, रंजक या रासायनिक परिरक्षी नही है घोषणात्मक लेबल अधिनियम के अनुसार है। बिना चेतावनी न्याय निर्णयन आवेदन दायर करने को प्रताडित करने वाला मानते हुए एस.एस.ए.आई. ने 17.1.2018 को एडवाइजरी जारी कर, ऐसे प्रकरणो मे रेक्टीफिकेशन प्रक्रिया के तहत निर्देश जारी किए जाने का प्रावधान किया है।

यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा जो आवेदन पत्र तथा दस्तावेजात श्रीमान के समक्ष पत्रावली के साथ प्रस्तुत किये है उनसे प्रथम दृष्टया कोई मामला मिस ब्राण्ड का प्रत्यर्थीगण के विरूद्व नही बनता है ना ही खाद्य विष्लेषक ने अपनी जांच रिपोर्ट मे नमूना किस कारण से मिस ब्राण्ड होता है यह जांच रिपोर्ट मे कहीं भी उल्लेख नही किया है इस कारण से केवल मात्र खाद्य विश्लेषक के लिख देने मात्र से प्रत्यर्थीगण के विरूद्व मिस ब्राण्ड का प्रकरण आयद नही होता है। यह कि परिवाद प्रस्तुत करने की स्वीकृति मे भी स्वीकृति अधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष नही दिया गया है कि नमूना किस कारण से मिस ब्राण्ड होता है ना ही मिस ब्राण्ड होने के कारण स्वीकृति मे दर्शाया गया है इस कारण से भी स्वीकृति बिना मस्तिष्क का प्रयोग कर जारी की गई है जिस कारण प्रत्यर्थीगण के विरूद्व मामला निरस्त किए जाने योग्य है।

यह कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (zf)(l) के अनुसार मिथ्या छाप वाला खाद्य मिसब्राण्ड फूड से कोई खाद्य पदार्थ अभिप्रेत है कि कोई कृत्रिम सुरूचिकारक कृत्रिम रंजक या रासायनिक परिरक्षों से युक्त है और पैकेज उस तथ्य का कथन करने वाला घोषणात्मक लेबल नही लगा है या इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार उस पर लेबल नही लगाया गया है या उसके उल्लंघन मे है। यह कि धारा 46 के अनुसार फूड एनालिस्ट को केवल नमूने के विश्लेषण की रिपोर्ट देनी होती है ना कि मिस ब्राण्ड की राय। यह कि फूड एनालिस्ट द्वारा नमूने की जांच रिपोर्ट 14 [illegible] सीन पर लगभग एक माह मे नियम विरूद्व जारी की गई है जो पठनीय नही है। [illegible] इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई कार्यवाही ड्रो फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:28:56 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 200/FSSA /Kota/ Act/2019/193 दिनांक 11.4.2019से असन्तुष्ट थे, तो अप्रार्थी क्रम 1 को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नही करवायी गई है।

मेरे द्वारा प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 से वास्ते नमूना जॉच क्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **Blended Edible Vegetable Oil (Honest Lite) 1 लीटर गत्ता पैक** जॉच रिपोर्ट मे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a)(c)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत, प्रत्येक अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को राशि 5000/– 5000/– रूपये पत्रवली मे कुल जुर्माना राशि 10,000/– रूपये अक्षरे दस हजार रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवाकेन्द्र से चालान निकलवाकर, जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:28:56 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.01.08 16:05:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: